न्यायालयः आनंद बागरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला जबलपुर (म0प्र0)

Registration No RCT.11593/2021
Filing No-40205/2021
C.N.R. No. MP2001-050738-2021
Filing Date 24/12/2021
Crime No 1034/2021
Police Station-Ghamapur

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

अभियोजन	म.प्र. राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र घमापुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	सुश्री रानी जैन, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	**1.** गौरव महान्ती पिता कैलाश चन्द्र महान्ती, उम्र–23 वर्ष, निवासी–ओमकला मंदिर के पास थाना घमापुर, जिला–जबलपुर(म.प्र.) **(अ–1)** **2.** अजय कांत कनौजिया पिता प्रेमलाल कनौजिया, उम्र–31 वर्ष, निवासी–शुक्ला होटल कनौजिया आटा चक्की थाना घमापुर, जिला–जबलपुर(म.प्र.) **(अ–2)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	कोई नहीं।

अपराध की तिथि	04.11.2021
प्र.सू.रि. की तिथि	04.11.2021
आरोप पत्र की तिथि	24.12.2021
आरोपों के विरचना की तिथि	28.09.2022
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	कुछ नहीं।

निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	28.09.2022
निर्णय की तिथि	28.09.2022
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत भा.द.सं. की 188 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं **200–200/–रूपये (दो सौ, दो सौ रूपए मात्र)** के का अर्थदण्ड

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोष मुक्ति जिनका आरोप है	दोषमुक्त या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
अ–1.	गौरव महान्ती	निरंक	निरंक	धारा 188 दं.प्र.सं.	धारा 188 दं.प्र.सं.	दण्डादेश	अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत ाा.द.सं. की 188 भारतीय दंड संहिता में न्यायाल	निरंक
अ–2	अजय कांत कनौजिया	निरंक	निरंक	धारा 188 दं.प्र.सं.	धारा 188 दं.प्र.सं.	दण्डादेश		

							य उठने तक का कारावास एवं 200–200/– रूपये (दो सौ, दो सौ रूपए मात्र) का अर्थदंड	

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षीः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
कुछ नहीं।	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :–

सं.कं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	कुछ नहीं।	कुछ नहीं

पुलिस थाना–घमापुर, तहसील व जिला–जबलपुर के अपराध कमांक–1034/22 अपराध अंतर्गत धारा–188 भा0दं0सं0 से उद्भूत प्रकरण।

:: नि र्ण य ::
(आज दिनांक–28.09.2022 को घोषित किया गया)

01– अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत इस आशय के दंडनीय अपराध का अभियोग है, कि उसने दिनांक–04.11.2021 को समय 22:35 बजे स्थान ओमकला मंदिर के पास घमापुर अंतर्गत् थाना घमापुर जिला–जबलपुर में जिला दंडाधिकारी, जबलपुर के आदेश क्रमांक 947/एस.डब्ल्यू./2021 दिनांक 31.10.2021 का उल्लंघन किया।

02. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया जाना र्निविवादित तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना घमापुर में पदस्थ उपनिरीक्षक प्रशांत शर्मा हमराह स्टाफ घटना दिनॉक को इलाका भ्रमण व दिवाली कानून व्यवसाी रवाना हुआ। उसी दौरान उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि ओमकला मंदिर के पास कुछ लोग तेज आवाज वाले पटाखे चला रहे है सूचना उपरांत मौके पर पहुॅचकर देखा करीब 22:35 बजे 2 व्यक्ति तेज आवाज के पटाखे चला रहे थे जो कि दंडाधिकारी जबलपुर के आदेश क्रमांक 947/एस.डब्ल्यू./2021 दिनांक 31.10.2021 का उल्लंघन करना पाये जाने से उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण को अपराध–विवरण की विरचना कर अपराध की विशिष्टीयॉ पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना स्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया ।

05. <u>प्रकरण के न्यायोचित निराकरण के लिए इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है</u> :–

1/ क्या अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थल पर जिला दंडाधिकारी, जबलपुर के आदेश क्र. 947/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 31.10.2021 का उल्लंघन किया गया ?

–::सकारण निष्कर्ष::–

06. अभियुक्तगण की स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 188 के अन्तर्गत् दण्डनीय अपराध में दोषी पाया जाता है।

–::दण्डादेश::–

07. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया, अभिलेख का परिशीलन किया। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों तथा अभियुक्तगण की आयु को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त गौरव महान्ती को अपराध अंतर्गत **भा.द.सं. की धारा 188** के लिए 200/– रुपये तथा न्यायालय उठने तक के कारावास तथा अभियुक्त अजय कांत कनौजिया को अपराध अंतर्गत **भा.द.सं. की धारा 188** के लिए 200/– रुपये तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर पन्द्रह–पन्द्रह दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावेगा।

08. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं ।

निर्णय पृथक से टंकित कराकर, दिनांकित हस्ताक्षरित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(आनंद बागरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर म0प्र0

(आनंद बागरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर म0प्र0

ANAND BAGRI

Digitally signed by ANAND BAGRI
Date: 2022.09.28 17:49:24 +0530